ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, *RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1*, PP-45-48, *YEAR 2014*

आर्थिक आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूह का सामाजिक अध्ययन

❑ डॉ. राजेश त्रिपाठी*

समाज में महिला पुरूष का वर्चस्व हमेशा से देखा गया है लेकिन पुरूष वर्चस्व समाज में अधिक प्रभावी है, महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिये उन्हें सशक्त करने की अति–आवश्यकता है। इसके लिये राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं को भूमिका को ध्यान में रखते हुये सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिये कई कानून बनाये गये हैं। देश के मेरूदण्ड ग्रामीण भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुये सरकार ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये कई कदम उठाये हैं। जिससे महिलाओं को राजनीति में आने के अवसर भी प्राप्त होंगे और उन्हें सशक्त भी बनाया जा सकेगा। आज के समय में कई महिलायें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में निर्वाचित भी हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का संकेत है।

सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि उनके लिये सामाजिक न्याय और महिला पुरूष समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिला को आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्म विश्वास प्रदान करना है। यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि उसका आत्म सम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है, समर्थ है, स्त्री और पुरूष एक ही इकाई के दो हिस्से हैं, तब भी इनमें असीम असामानता बनी हुई। वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय समाज की धुरी पुरूष ही रहा है। मानव विकास के सभी मुख्य मापदण्डों ज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, उद्योग, कृषि, व्यापार, युद्ध आदि का संचालन और उसका मूल्यांकन उसी के अनुपात में होता आया है, किन्तु पिछली सदी से मानव चेतना में बाहरी एवं भीतरी स्तर पर तीव्र आन्दोलन हुये हैं।

पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण को व्यापक नीतिगत समर्थन मिला है, किन्तु प्रण अभी भी बना हुआ है कि हम इन उद्देश्यों और विभिन्न सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में महिलाओं की आवश्यकताओं को कहां तक प्राप्त कर सकें। उपलब्धियों और विकास एवं उत्थान के लम्बे सफर के बावजूद अभी भी लाखों करोड़ों महिलायें अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत हैं, इनमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या ज्यादा है, चूंकि उनमें साक्षरता जागरूकता की कमी है। केन्द्र सरकार ने ऐसी महिलाओं को भी लक्षित कर कल्याणकारी योजनायें बनाई हैं। जहां गर्भवती महिलाओं के लिये गोद भराई योजना, पूरक पोषक आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना जैसी कई योजनायें बनाई हैं। वहीं लाड़ली और लक्ष्मी योजना लड़कियों के लिये आत्म निर्भर जीवन देने में सार्थक सिद्ध होंगी। गांव की प्रतिभाशाली बेटी और उच्च शिक्षा के लिये गांव की बेटी योजना और गरीब बालिकाओं के लिये साईकिल प्रदान योजना महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बालनीति के तहत भी बालिकाओं को सशक्त

* एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण प्रबंधन विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (सतना) म0प्र0

करने हेतु लगभग 4600 परियोजनायें देश भर में चल रही हैं।

सशक्तिकरण संभवतः निम्नलिखित क्षमताओं को मिलाकर बनता है –

–ध स्वयं द्वारा निर्णय लेने की शक्ति होना।

–ध उचित निर्णय लेने के लिये जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता होना।

–ध कई विकल्प उपलब्ध होना, जिनसे आप चुनाव कर सकें।

–ध सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता का होना।

–ध बदलाव लाने की क्षमता पर सकारात्मक विचारों का होना।

–ध स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिये कौशल सीखने की क्षमता रखना

–ध अन्यों की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता का होना

–ध विकास प्रक्रिया तथा चिन्तन व स्वयं की पहल द्वारा बदलावों के लिये भागीदारी करना।

–ध स्वयं की सकारात्मक क्षवि में वृद्धि करना ।

महिला सशक्तिकरण 2001 के लिए राष्ट्रीय नीति: महिला पुरूष समानता के सिद्धान्त को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों राज्यों के लिये नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रतिष्ठित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता की गारंटी प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का हक भी प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का हक भी प्रदान करता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के समय से ही भारत महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय मुद्दे के रूप में लेकर चल रहा है, और सरकार महिला मुद्दे को कल्याण से लेकर विकास के रूप में लाकर अपने दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सन् 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, इस प्रकार स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की आधारशिला रखी गयी, भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधिपत्रों को भी अनुमोदित किया है उनमें सन् 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संधिपत्र का अनुमोदन सबसे प्रमुख है।

राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य: राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, उसके उद्देश्यों में महिलाओं के विकास के लिये सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें। वे अपने स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, समाज पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। उनमें महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव एवं हिंसा का उन्मूलन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी सुनिश्चित करना शामिल है।

सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम: वर्तमान में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को देखते हुए यह आवश्यक है कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को स्थापित किया जाये। यह तभी संभव होगा जब उन सभी दुविधाओं, जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है, पर सार्वभामिक दृष्टि एवं सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए इसके लिए 2009–10 के बजट में सात सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है।

–ध सुरक्षित मातृत्व

–ध शिशु मृत्यु दर में कमी लाना

–ध जनसंख्या स्थरीकरण

–ध बाल विवाहों पर रोग

–६ लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक पढ़ाई करना।

–६ महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है।

–६ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की जायेगी।

सात सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन, समीक्षा एवं समन्वय हेतु दो राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति एवं मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री सात सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित विभागों द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि उन अपेक्षाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके तथा विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय किया जा सके।

आत्मनिर्भरता बनी महिलाओं की पहचान :

कुणाल झा, गोड्डा के अनुसार हाल के वर्षों में महिला संशक्तिकरण ने लम्बे ढंग भरे है। पंचायत चुनाव के बाद महिला सशक्तिकरण का, जलवा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। चौपाल पर विकास की रणनीति बनानी हो या फिर समाज में व्याप्त कुप्रथा पर लगाम लगाने की हर मामले में महिलाएं अव्वल साबित हो रही है। चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण आज उनके आत्म विश्वास को पंख दे रहा है। आज जिला परिषद की कमान से लेकर कई प्रखंड व पंचायतों की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी पंचायत की महिला गुलनाज मुखिया ने इस पंचायत की फिजा ही बदल डाली है। समय पर स्कूल खुलने लगे हैं और आंगनवाड़ी में नियमित रूप से पोषाहार का वितरण हो रहा है, मुखिया ने लोगों को जागरूक बनाने की कमान खुद संभाल रखी है। जिसका फल यह मिल रहा है कि लोगों ने देशी शराब से तौबा करनी शुरू कर दी है।

महिला सशक्तीकरण के बढ़ते कदम झारखंड प्रदेश के जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रय के तहत गरीब व पिछड़े वर्ग की महिलाएं बांस से बने सामान, सूत कताई व बुनाई, रेशम धागा सहित कपड़ा बुनाई आदि कार्यों में अपनी निपुणता का परिचय दे रही है। गोड्डा प्रखंड के निपनिया, दमा, झिलवा, वारिसरांड आदि गांवों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उद्यमिता विकास के गुणों को अपनाकर सफलता का परचम लहराया है, फूल, गुलदस्ता, पैन स्टैंड, पेन्सिल बाक्स व चटाई बनाने में इन्हें महारथ हासिल है।

***SHG* के बीच बंटे 521 लाख रूपये** वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब विभिन्न स्वयं सहायता समूह के बीच 521 लाख रूपये के ऋण बांटे जा चुके हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं छोटे एवं लघु उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। समूह की महिलाएं कहीं मूढ़ी बनाने का काम रही हैं तो कहीं पापड़ अन्य घरेलू उपयोगी सामानों का निर्माण कर रही हैं, इतना ही नहीं जैविक खाद के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अब तो जनवितरण प्रणाली की दुकानों की कमान भी समूह से जुड़ महिलाएं ही संभाल रही है।

साक्षरता की कमान इन्हीं के हांथों में : भारत साक्षरता मिशन के तहत हर पंचायत से दो प्रेरक का चयन किया गया है, इसमें एक महिला का होना जरूरी है, इसके अतिरिक्त जल सहिया पर ग्रामीणों को स्वच्छ जल आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया है।

शिशु व मातृ मृत्यु दर में होगी कमी: स्वास्थ्य विभाग ने ममता वाहन योजना की शुरूआत की है, इस योजना के तहत किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाने व वापस घर तक सुरक्षित लौटाने का दायित्व ममता वाहन पर सौंपा गया है, इसके लिए दूरभाष नंबर उपलब्ध कराया गया है।

जिला प्रशासन महिला सशक्तीकरण को लेकर कटिबद्ध है, मुख्यमंत्री कन्या योजना हो या फिर

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ली योजना सभी का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण ही है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

अफसरशाही और भ्रष्टाचार महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा: अफसरशाही और भ्रष्टाचार महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा आज भी गांव में रहने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित महिला उपयोगी योजनाओं का लाभ लेने के लिये काफी मशक्कत करना पड़ता है। ग्रामीण महिलायें वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई योजना, कन्या विवाह योजना जैसे कई अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास तो जरूर करती हैं, परन्तु प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते–लगाते थक हार कर बैठ जाती हैं।

निश्चित रूप से आज यह कहा जा सकता है कि महिला को सशक्त करने के प्रयासों को और तेज करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज नारी की जागरूकता, शिक्षा, कार्योजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ रही है, पर फिर भी समाज में उन्हें सशक्त बनाने के लिये स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है तथा हमारी सरकार को भी यह देखना होगा कि उसके द्वारा चलायी गयी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं अभियानों का लाभ वास्तव में महिलाएं उठा पा रही है या नहीं। इसके लिये जरूरत है चुस्त, दुरूस्त और ईमानदार प्रशासन की, आज के समय में महिलाओं को सशक्त करना अधिक आवश्यक है। इसके लिये सरकार को ध्यान देना उचित होगा।

''लेकिन वास्तविकता यह है कि सशक्तिकरण की सभी योजनायें कागज पर ही चल रही हैं और उनका जोर–शोर से ढिंढोरा पीटने के लिये इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह भी है कि सम्पूर्ण बजट भी इन योजनाओं का भी घोटाले में जा रहा है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

–६ ज्ञान प्रकाश गौतम : महिला सशक्तिकरण

–६ डॉ0 बसन्तीलाल बावेल : महिला एवं बाल कानून

–६ मदन जी.आर. : परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र

–६ शर्मा एम.एल. एवं गुप्ता डी.डी. : समाजशास्त्र